बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय

पत्रांक–EP/5/2023-SIPB-INDUS..............................
सेवा में,   दिनांक–..............................

महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0)
बिहार, पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–12364/2018 मेसर्स कनोडिया इन्फ्राटेक लि0, कर्मनाशा, दुर्गावती, कैमूर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–16.08.2019 के आलोक में इकाई को कुल 24,73,90,413/–(चौबीस करोड़ तेहत्तर लाख नब्बे हजार चार सौ तेरह रूपए) मात्र के एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

महाशय,

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत एस0डब्लू0सी0 पोर्टल पर प्राप्त दावा (आवेदन संख्या–INC202510001663, INC202507001238 & INC202504000786) के आधार पर मेसर्स कनोडिया इन्फ्राटेक लि0, कर्मनाशा, दुर्गावती, कैमूर को वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत जनवरी–2025 से सितम्बर–2025 तक की अवधि हेतु कुल 24,73,90,413/–(चौबीस करोड़ तेहत्तर लाख नब्बे हजार चार सौ तेरह रूपए) मात्र के एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षो तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षो के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(ii) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षो तक स्थापित मशीन–उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/लीज/हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी स्तर पर अनुदान की गणना करने में त्रुटि पाए जाने पर भुगतेय अनुदान की राशि की वसूली नियमानुकूल की जायेगी।

(iv) प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचनां दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थी, अथवा इस नीति के किसी शर्त्त का उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। विदित समय में बकाया राशि भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू–राजस्व की भाँति सूद सहित बकाया राशि वसूली करेगी।

2. उक्त राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक–404, दिनांक–03.02.2026 के आलोक में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या–23, उप शीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष–0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी0 टी0 सी0 फार्म–25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान मेसर्स कनोडिया इन्फ्राटेक लि0, कर्मनाशा, दुर्गावती, कैमूर को उनके कोटेक महिन्द्रा बैंक के खाता संख्या–3445044318, IFSC Code- KKBK0005029 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।

7. प्रस्ताव पर उद्योग निदेशालय का आदेश ज्ञापांक–344, दिनांक–27.01.2021 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
अपर सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–EP/5/2023-SIPB-INDUS....SIPB/789........   दिनांक–21/03/26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मेसर्स कनोडिया इन्फ्राटेक लि0, कर्मनाशा, दुर्गावती, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/26
अपर सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

570